दि रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर।

बैंक ऋण नीति

दिनांक 24.11.2020 की संचालक मंडल की सभा में अनुमोदित ऋण नीति

ऋण नीति इन्डेक्स

क्र.सं.	ऋण नीति	बिन्दु संख्या
01	सदस्यता	1.1 से 1.9 तक
02	सीटीडी कटौती	2.1 से 2.5 तक
03	ऋण के प्रकार	3.1 से 3.3 तक
04	सामान्य ऋण	4.1 से 4.11 तक
05	ऋण राशि की सीमा व पात्रता	5.1 से 5.4 तक
06	ऋण भुगतान अवधि	6.1
07	ऋण भुगतान	7.1 से 7.4 तक
08	ब्याज दर व ब्याज गणना	8.1 से 8.8 तक
09	ऋण का नवीनीकरण	9.1 से 9.2 तक
10	डिफाल्टर सदस्य	10.1 से 10.7 तक
11	जमानत एवं दायित्व	11.1 से 11.8 तक
12	विशेष कोटा प्रणाली से ऋण भुगतान	12.1
13	सदस्य ऋण बीमा कोष	13.1 से 13.5 तक
14	सदस्य सहायता एवं सुरक्षा कोष	14
15	सदस्य की मृत्युपरान्त देय लाभों का भुगतान	15.1 से 15.8 तक
16	ऋण समिति की सभा एवं शक्तियां	16.1 से 16.5 तक

दी रेलवे एम्पलाईज को–ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर

संचालक मंडल की सभा दिंनाक 24.11.2020 में अनुमोदित एवं
दिंनाक 01.12.2020 से 30.11.2021 तक प्रभावी ऋण नीति

क्र.सं.	**ऋण नीति–2020**
1	**सदस्यता :-**
1.1	बैंक उपनियमानुसार रेलवे विभाग में सेवारत अधिकारी/कर्मचारी जिनकी कंट्रोलिंग यूनिट बैंक के कार्यक्षैत्र के अन्तर्गत आती है, वे बैंक के सदस्य बन सकते है। 1. रेलवे में अप्रेन्टिस के पद पर कार्यरत कर्मचारियो (अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियो के अतिरिक्त) को बैंक का सदस्य नही बनाया जाये। 2. ऐसे रेलवे कर्मचारी जो की अनुकम्पा/लार्जेसी स्कीम के आधार पर रेलवे में नियुक्त हुये है उन्हें वर्तमान नियमानुसार एनपीएस कटौती के पश्चात् सदस्य बनाया जायेगा तथा उसके पश्चात ही उन्हें नियमानुसार ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
1.2	(i) सदस्यता ग्रहण करते समय सदस्य की संलग्न Latest वेतनपर्ची में PF No., EMP_ID No., PRN_No व Temp. PF No. का होना आवश्यक होगा। (ii) राजपत्रित अधिकारी एक माह की सदस्यता एवं एक सीटीडी की कटौती वेतन से प्राप्त होने पर किसी भी एक स्थानीय संचालक की सहमति पर 35 माह का मूल वेतन + डीए या अधिकतम रू.20 लाख जो भी कम हो, ऑउट ऑफ टर्न ऋण प्राप्त कर सकते है एवं जमानत देने हेतु भी इसी शर्त के अनुसार पात्र होगे। (iii) रेलवे कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही बचत खाता खोलना अनिवार्य होगा।
1.3	बैंक के सदस्य बनने वाले सदस्य को बैंक की सेवाशर्ते एवं नियमों को मानना अनिवार्य होगा। बैंक द्वारा जारी सदस्यता फार्म को भरकर देने व सदस्यता शुल्क ₹10/–जमा करने के साथ ही बैंक का कम से कम एक शेयर ₹100/– का लेना अनिवार्य होगा।
1.4	सदस्यता हेतु आवेदन करने व शेयर क्रय कर लेने मात्र से सदस्यता प्राप्त हो जाने की गारण्टी नही होगी, इसके लिये सदस्य के वेतन से सीटीडी की कटौती होना अनिवार्य होगा।
1.5	(i) सदस्य द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने पर, त्याग पत्र स्वीकार करने की दिनांक से एक वर्ष पश्चात् ही पुनः सदस्यता ग्रहण की जा सकेगी। पूर्व की सदस्यता अवधि का लाभ मान्य नही होगा। सदस्य यदि तथ्य छिपाकर सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। (ii) सदस्य के रेल सेवा से निष्कासित होने पर अगर सदस्य के द्वारा अपील करने पर पुनः नौकरी पर रखा जाता है तो गेप अवधि रेलवे के आदेशनुसार मानी जायेगी। (iii) अन्य मंडल में स्थानान्तरण होने की स्थिति में यदि सदस्य की सीटीडी व ऋण की रिकवरी नियमित प्राप्त हो रही है तथा ऐसे सदस्य का स्थानान्तरण एक वर्ष की अवधि में पुनः बैंक के कार्यक्षैत्र में स्थानान्तरण हो जाता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता को नियमित माना जायेगा। परन्तु उक्त अवधि में MRF & MLIF का भुगतान नहीं किया जायेगा। (iv) यदि रेलवे विभाग में कार्यरत कोई राजपत्रित अधिकारी रेलवे के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल व पश्चिम मध्य रेलवे के अन्तर्गत ही स्थानान्तरित होता है तथा इस कारण से बैंक की सदस्यता से त्यागपत्र देने के पश्चात् पुनः उत्तर पश्चिम रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे मंडल के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण होकर आता है तथा बैंक की सदस्यता हेतु आवेदन करता है तो ऐसे राजपत्रित अधिकारी को एक वर्ष की बाध्यता में छूट प्रदान करते हुये पुनः बैंक का सदस्य बनाया जा सकता है। (v) यदि कोई राजपत्रित अधिकारी 03 वर्ष की निर्धारित सदस्यता अवधि से पूर्व बैंक की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाये, परन्तु उन्हें पुनः बैंक का सदस्य नही बनाया जायेगा।
1.6	सदस्यता फार्म में सदस्य को अपना स्थायी पता अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्थाई पते हेतु आधार कार्ड को मुख्य आई.डी. माना जायेगा तथा सदस्यता ग्रहण करते समय सदस्य से आधार कार्ड की प्रति प्राप्त कर रिकार्ड में रखी जायेगी। आधार कार्ड नही होने पर केवाईसी के नियमानुसार अन्य दस्तावेज मान्य होगें। साथ ही अपने नामित की घोषणा पूर्ण विवरण के साथ (Detail of Nominee) उल्लेखित करनी होगी, सदस्य कालान्तर में यदि अपने नामित को बदलना चाहे तो लिखित प्रार्थना पत्र के साथ ₹50/–बैंक में जमा करवाकर नामित बदल सकता है।
1.7	बैंक उपनियमो के अनुसार सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले सदस्य को निपटारा राशि का भुगतान आवेदन पत्र इनवर्ड होने के 7 दिवस के अन्दर कर दिया जायेगा।
1.8	नये सदस्य बनाने पर सदस्यता आवेदन पत्र के साथ एवं ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न Latest पे-स्लिप की Self Attested/ सत्यापित हो अथवा सम्बन्धित शाखा के संचालक अथवा शाखा प्रबन्धक द्वारा भी उक्त पे-स्लिप की मूल प्रति देखकर सत्यापन किया जा सकता है। मूल वेतन पर्ची सदस्यता/ऋण भुगतान के पश्चात् सदस्य को लौटायी नही जायेगी तथा उक्त वेतनपर्ची अलग से फाईल बनाकर शाखा के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाये।

1.9	**सदस्यता से त्यागपत्र :-** सदस्य की 03 वर्ष की सदस्यता अवधि पूर्ण होने के उपरान्त सदस्य की प्रार्थना के आधार पर शाखा प्रबन्धक, शाखा स्तर पर नियमानुसार त्यागपत्र स्वीकृत कर सकते है। ऋण नीति का अक्षरशः पालन किया जाये लेकिन यदि सदस्य का स्थानान्तरण बैंक के कार्यक्षैत्र के बाहर हो जाता है/सेवानिवृति/मुत्यु तो उनपर समय की पाबंदी नही रहेगी तथा ऋण कमेटी उसपर निर्णय लेगी। बैंक उपनियमानुसार सेवारत अधिकारी/कर्मचारी बैंक का सदस्य बन सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती हो या त्यागपत्र दे देता हो या एच्छिक सेवानिवृति ले ली हो या अपने पुत्र/पुत्री को नौकरी दिलाने हेतु लार्जेसी स्कीम के तहत् त्यागपत्र देता हो तो ऐसी स्थिति में सदस्यता समाप्त होगी। यहां यह आवश्यक है कि उपरोक्त तथ्यो के लिये सदस्यता की सेवा अवधि कोई मायने नही रखती। ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है। बशर्ते कि उनके द्वारा दी गई जमानत खाली हो। प्रायः सेवानिवृति के छः माह पूर्व सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो स्वीकार कर लिया जाना चाहिये यदि वे अन्य शर्ते पूरी करता हो।
2	**सी.टी.डी.(CTD) की कटौती :-**
2.1	बैंक का प्रत्येक सदस्य जब तक बैंक का सदस्य रहेगा तब तक उसको नियमानुसार अनिवार्य मितव्ययी (थिफ्रट) जमा में कटौती करवाना अनिवार्य होगा। इसकी प्रतिमाह सदस्य के वेतन से सीटीडी की कटौती की जायेगी। सीटीडी की राशि सदस्य के लिखित आवेदन विकल्प पर बढाई जा सकती है परन्तु यह बढी हुई राशि आगामी वितीय वर्ष के 31 मार्च से पहले कम नही की जायेगी।
2.2	सी.टी.डी. राशि की कटौती का निर्धारण समय समय पर बैंक के संचालक मंडल के निर्णयानुसार किया जायेगा, जो कि सदस्य को मान्य होगा। वर्तमान में सीटीडी का निर्धारण निम्नानुसार हैः- ए) वेतनमान 5200-20200 व लेवल 1 से 5(पूर्व ग्रेड-पे 1800 से 2800 तक) तक सीटीडी की राशि 1000/- की कटौती करना तथा वेतनमान 9300-34800 व लेवल 6(पूर्व ग्रेड-पे 4200 एवं इससे अधिक) एवं इससे अधिक के वेतनमान पर सीटीडी की राशि 1500/- की कटौती करना। बी) यदि सदस्य स्वैच्छा से सीटीडी राशि में वृद्धि करवाकर 100 के गुणांक में कटौती करवा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10.00 लाख होगी। (As per Bank's approved Bye Laws) सी) ऋणी सदस्य की ऋण की कटौती प्राप्त होने तथा सीटीडी की कटौती प्राप्त नही होने पर सदस्य को पूर्व ऋण प्राप्त करने की तिथि से डिफाल्ट राशि नकद जमा करवानी होगी व अंतिम सीटीडी/ऋण की किश्त वेतन से प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा शाखा द्वारा ऐसे सदस्य की रिवाईज्ड सीटीडी कटौती तालिका जारी कर कटौती करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह नियम ऋणी व जमानती सदस्य दोनो पर लागू होगा। कटौती तालिका की एक प्रति ऋण आवेदन पत्र के साथ भी आवश्यक रूप से संलग्न की जाये।
2.3	सदस्य की सदस्यता रहने तक सीटीडी की राशि में से उसे किसी प्रकार की राशि निकालने के अधिकार नही होगें।
2.4	सदस्य की मृत्यु/लार्जेसी/वीआरएस/सेवानिवृति/रिमूवल केस में यदि ऋण बकाया है तो सीटीडी में जमा राशि बैंक द्वारा बकाया ऋण में समायोजित की जायेगी। यदि ऋण बकाया नही है तो जमा राशि पर उक्त तिथि के पश्चात् बचत खाते की दर से ब्याज देय होगा। (मैसर्स वी-सॉफ्ट फर्म से Implement नही होने तक यह कार्य मेनुअल किया जायेगा।)
2.5	सीटीडी पर ब्याज दर समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी। वर्तमान में निर्धारित ब्याज दर 7.50 प्रतिशत वार्षिक है।
2.6	अनिवार्य मितव्ययी जमा की कटौतियो के लिये समयावधि में वृद्धि या स्थगन की अनुमति नही होगी परन्तु ऐसे सदस्य जो अर्द्धवेतन अवकाश या बिना वैतनिक अवकाश पर है उनके लिये विकल्प होगा कि वे उस अवकाश की अवधि में अनिवार्य जमा में अंशदान की कटौती रोक सकते है।
3	**ऋण के प्रकार :-**
3.1	**सामान्य ऋण योजना :-** सदस्य अपनी निजी आवश्यकता के लिये ऋण हेतु आवेदन कर सकता है। आवश्यकता का कारण आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
3.2	**सी.टी.डी. के Against ऋण योजना :-**
(i)	Loan Limit : 80% of CTD Deposit Balance // Intt. Rate : 1% above CTD Deposit Rate (As per Bank's approved Bye Laws) सीटीडी ऋण व सामान्य ऋण एक साथ स्वीकृत नहीं किये जायेगे। यदि सामान्य ऋण की स्वीकृति के समय सीटीडी ऋण चल रहा है तो उसे स्वीकृत ऋण राशि से समायोजित किया जायेगा तथा सीटीडी ऋण की स्वीकृति के समय यदि सामान्य ऋण चल रहा है तो उसे स्वीकृत सीटीडी ऋण से समायोजित किया जायेगा। अर्थात एक समय एक ही ऋण (सीटीडी/सामान्य) चालू रहेगा। **सीटीडी ऋण आवेदन पत्र के साथ लेटेस्ट माह की वेतनपर्ची आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।**
3.3	**मियादी जमाओं (FD/RI/RD) पर अग्रिम योजना (FD/RI/RD Advance) :-**
(i)	Loan Limit : 80% of Deposit Balance // Intt. Rate : 2% above of Deposit Rate (As per Bank's approved Bye Laws)

	इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू.20.00 लाख की शर्त लागू नही होगी। सामान्य ऋण/सीटीडी ऋण के साथ कोई भी जमाकर्ता/सदस्य मियादी जमा के विरूद्ध नियमानुसार ऋण प्राप्त कर सकता है।
4	**सामान्य ऋण आवेदन व सेवा शर्ते :-**
4.1	सदस्य को ऋण प्राप्ति हेतु बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना हेगा। इसके लिये सदस्य को सहकारिता अधिनियम, बैंक उपनियम, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित ऋण नीति व सेवा शर्ते मानना अनिवार्य होगा। रेलवे विभाग से एकल खिडकी के माध्यम से या ऋणी सदस्य के स्वयं के द्वारा ऋण फार्म प्रस्तुत करने पर प्राप्त ऋण आवेदन पत्रो को शाखा प्रबन्धक द्वारा बैंक में प्राप्त करने की तिथि से इनवर्ड किया जायेगा। बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्र जमा करते समय उसकी प्रारम्भिक जांच कर (जिसमें सभी कॉलम स्पष्ट रूप से बिना कांट-छांट के भरे हुये हो, फोटो पर विभाग द्वारा यथा स्थान सत्यापन किया हुआ हो व सदस्य के स्वयं के एवं जमानतियों के यथा स्थान हस्ताक्षर हो। साथ ही साक्षियों के कॉलमो की पूर्ति भी हो रखी हो) सदस्य को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। साक्षी बैंक के सदस्य की ही मान्य होगी। ऋण पत्र में उपलब्ध साक्षी के कॉलमो की पूर्ति बैंक के सदस्यो द्वारा ही की जाये। ऐसे किसी व्यक्ति की साक्षी मान्य नही होगी जो बैंक का सदस्य नही है।
4.2	ऋण आवेदन पत्र के प्रारूप में बैंक द्वारा चाही गई सभी जानकारी सत्यनिष्ठा व शपथपूर्वक देना आवश्यक होगा सदस्य द्वारा असत्य एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने व किसी प्रकार का तथ्य छिपाने की स्थिति में उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है एवं आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ऋण प्राप्त कर लिया है तो विधिक कार्यवाही कर ऋण की वसूली का बैंक को अधिकार होगा।
4.3	ऋण आवेदन पत्र में रेलवे विभाग द्वारा किये जाने वाले सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किये जाने पर ही आवेदन पत्र मान्य होगा।
4.4	**आवेदन पत्र पर लगाये जाने वाले ऋणी व जमानतियों के फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज के सुस्पष्ट एवं Latest होने चाहिये एवं विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व सील फोटो पर Cross करते हुये होना अनिवार्य है।**
4.5	i) **ऋण आवेदन पत्र के साथ विगत तीन माह की लेटेस्ट वेतनपर्ची आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।** इसके अभाव में ऋण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सदस्य ऋण आवेदन पत्र इनवर्ड करवाते समय आवेदन पत्र के साथ इंटरनेट के माध्यम से प्रिन्ट की गई विगत तीन माह की वेतनपर्ची, जो कि सदस्य द्वारा स्वयं सत्यापित की गई हो, संलग्न कर सकता है। यदि सदस्यो द्वारा ऋण आवेदन पत्रो के साथ ड्राफ्ट पे-स्लिप संलग्न की जाती है तो इस प्रकार के ऋण आवेदन पत्र को इनवर्ड नहीं किया जायेगा।
4.6	यदि सदस्य द्वारा स्वीकृत ऋण भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है तो स्वीकृत ऋण को निरस्त करवाकर किश्तो की संख्या व ऋण राशि में जमानतियो की सहमति से परिवर्तन करवा सकता है।
4.7	यदि सदस्य बैंक की देनदारियों को चुकाने में डिफाल्टर है एवं असाध्य बीमारी से ग्रसित है तथा यदि सदस्य असत्य घोषणा कर ऋण प्राप्त कर लेता है तो जानकारी प्राप्त होते ही बैंक द्वारा सदस्य के ऋण आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। वह बीमित नही माना जायेगा। शाखा प्रबन्धक को इसके लिये ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4.8	ऋण आवेदन निरस्त होने के पश्चात् बैंक में ही जमा रहेगा, जिसमे आवेदन पत्र निरस्त करने के कारण सहित आक्षेप उल्लेखित करने अनिवार्य होगें। ऋण आवेदन पत्र निरस्त करने की सूचना सदस्य को सात दिवस में डाक से भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त सदस्य को SMS व मोबाईल के माध्यम से सहायक शाखा प्रबन्धक सदस्य को सूचित करेगें।
4.9	ऋणी सदस्य से ऋण की स्वीकृति के समय विविध खर्च खाते में दिंनाक 01.11.17 से ₹125/- की कटौती की जायेगी।
5	**ऋण राशि की सीमा व पात्रता (Loan Limit & Eligibility)** (As per Bank's approved Bye Laws)
5.1	i) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 91 दिन अथवा उससे अधिक एवं 1 वर्ष से कम है वे 35 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 8,00,000/- (रूपये आठ लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते है। ii) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 1 वर्ष या उससे अधिक एवं 3 वर्ष से कम है वे 35 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते है। iii) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 3 वर्ष या उससे अधिक एवं 5 वर्ष से कम है वे 35 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 16,00,000/- (रूपये सौलह लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते है। iv) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 5 वर्ष अथवा उससे अधिक है वे 35 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते है। v) राजपत्रित अधिकारी वेतन से एक सीटीडी की कटौती उपरान्त किसी एक स्थानीय संचालक की सहमति पर 35 माह का मूल वेतन + डी.ए. अथवा अधिकतम 2000000/-जो भी कम हो प्राप्त कर सकते है। vi) इस नीति में समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा परिवर्तन किये जा सकते है जो कि ऋणी सदस्य को मान्य होगें।
5.2	ऋण राशि स्वीकृत करते समय सदस्य द्वारा प्रस्तुत वेतनपर्ची से Gross Salary में से 25 प्रतिशत राशि छोडने एवं सदस्य की पिछले तीन माह की वेतनपर्ची का ट्रेक रिकार्ड चैक करने पर पाई गई कटौतियां एवं समस्त कटोतियां कम करने के पश्चात् शेष बची राशि से सदस्य की भुगतान क्षमता के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।

5.3	ऐसे सदस्य जिन्हें ओ.टी./टी.ए/के.एम.ए./एनडीए/ इंसेन्टिव/रनिंग भत्ता आदि की राशि नियमित रूप से प्राप्त होती है उन्हें भी स्वीकृत किये जाने वाले ऋण कटौती किश्तो की गणना करते समय प्रतिमाह के आधार पर औसत निकाल कर जोडा जायेगा किन्तु यह राशि लेटेस्ट वेतनपर्ची में वर्णित ग्रेस सेलेरी से अधिक नही चाहिये एवं शंका होने की स्थिति में शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं के स्तर पर ऋणी सदस्य की विगत तीन माह की वेतनपर्ची की जांच करने के उपरान्त संतुष्ठ होने पर ही ऐसी आय को ऋण कटौती किश्तो की गणना में शामिल किया जायेगा।
5.4	भुगतान क्षमता की गणना करते समय मासिक आयकर राशि की कटौती को कटोती में शामिल किया जायेगा। लेकिन वितीय वर्ष के अंतिम तीन माह में कटौती होने वाली **अतिरिक्त** आयकर राशि को भुगतान क्षमता में शामिल नहीं किया जायेगा। किन्तु उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मासिक आयकर कटोती को शामिल किया जायेगा।
6	**ऋण भुगतान अवधि (Limit of Repayment of Loan) (बी.ओ.डी 12.10.18 प्रभावी तिथि 01.11.2018)**
6.1	सदस्य द्वारा ऋण अधिकतम 120 माह की किश्तो में चुकाया जा सकता है लेकिन ऋण की वसूली ऋण वितरण के अगले माह की अंतिम तारीख से होगी। ऋण कटोती के माह अंको व शब्दो में ऋण फार्म, ऋण कटौती तालिका व चैकनोट में अंकित करना अनिवार्य होगा। **(सदस्य को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की किश्ते सदस्य की सेवानिवृति से छः माह पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिये।)**
7	**ऋण भुगतान (Mode of Loan Payment) :-**
7.1	ऋण स्वीकृति उपरान्त सदस्य द्वारा ऋण दस्तोवजो (Loan Documents) को ऋण स्वीकृति तिथि से ऋण भुगतान तिथि तक Execute करते समय चैक के साथ स्वीकृत ऋण राशि उसके बचत खाते जो कि रेलवे बैंक की किसी भी शाखा में खुला हो, के माध्यम से ही किया जा सकेगा तथा बचत खाते की राशि को अन्य बैंक में आरटीजीएस/एनईएफटी फार्म के माध्मय से भी हस्तान्तरित किया जा सकेगा। अंशधारक सदस्य का बचत खाता उसके सीटीडी खाते से संबद्ध रहेगा।
7.2	शाखा द्वारा ऋण भुगतान रीलिज करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में यदि सदस्य द्वारा ऋण भुगतान नही लिया जाता है तो ऋण आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। यदि कोई सदस्य उसे पुनः नम्बर पर लगाना चाहते है तो उसे लिखित सहमति देनी होगी। सदस्य द्वारा उसके ऋण आवेदन पत्र के निरस्त होने पर केवल दो बार ही पुनः रि-इनवर्ड करवाया जा सकता है।
7.3	➢ ऋण राशि की वसूली हेतु सदस्यो से ऋण राशि के ₹1.00 लाख के गुणांक में अधिकतम 05 Blank चैक प्राप्त किये जायेगे। सभी चैको में राशि नही भरी जाये तथा डिफाल्टर होने के समय प्रथम चैक में डिफाल्ट की राशि भरकर वसूली की जायेगी। सदस्य को बैंक द्वारा चैक्स प्राप्ति की पावती देनी होगी। ऋण समाप्ति पर सदस्य से प्राप्त चैक्स यथास्थिति लौटा दिये जायेगें। **ऋण के नवीनीकरण पर सदस्य से पूर्व ऋण पर प्राप्त किये गये चैक्स लौटाये जायेगें तथा स्वीकृत ऋण के अनुसार नये चैक्स लिये जायेगें।** ➢ सदस्य से स्वीकृत किये गये ऋण के एवज में प्राप्त किये जाने वाले चैको पर सदस्य के समक्ष ही 12 अंको के सदस्य खाता संख्या की सील लगाई जायेगी। ➢ **सदस्य से इस संबंध में घोषणा भी ली जायेगी** कि सदस्य यदि ऋण चुकाने में डिफाल्टर होता है तो उसे एवं उसके जमानतियों को नोटिस जारी किया जायेगा, फिर भी सदस्य ऋण राशि जमा नही करवाता है तो पुनः सदस्य को लीगल नोटिस देकर उसके द्वारा बैंक को दिये गये चैक को भुगतान हेतु उसके बैंक में लगाया जायेगा, अनादरित होने पर NI Act के Section-138 में प्रकरण दर्ज करवाने हेतु बैंक के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7.4	सदस्य द्वारा ऋण आवेदन पत्र में ऋण कटौती हेतु जितनी किश्तों की संख्या भरी गई है उसी आधार पर बैंक द्वारा भुगतान क्षमता की गणना कर ऋण को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अतः सदस्य ऋण पत्र भरते समय इस तथ्य को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। एक बार ऋण भुगतान के पश्चात् किश्तो की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा तथा बैंक को सदस्य व जमानती की सेवानिवृति के अनुसार किश्त कम करने का अधिकार होगा।
8	**ब्याज दर एवं ब्याज की गणना (Rate of Interest & Calculation) :-**
8.1	ऋण पर ब्याज की दर संचालक मंडल द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयानुसार लागू होगी।
8.2	बैंक की महिला सदस्य, विकलांग सदस्य एवं ऐसे सदस्य जिनका बैंक में सैलेरी खाता है उनके ऋण पर ब्याज दर 9.25 प्रतिशत (दिंनाक 01.10.2020 से प्रभावी) लागू होगी तथा अन्य सभी सदस्यो हेतु सामान्य ऋण पर ब्याज की दर 9.75 प्रतिशत (दिंनाक 01.10.2020 से प्रभावी) होगी। ऋण पर ब्याज की गणना कटवामिति पद्धति (Diminishing Rate) के अनुसार होगी। नोट :- **ऐसे विकलांग सदस्य जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तथा जो भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जारी अधिकृत विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है या वेतनपर्ची में विकलांगता भत्ता प्राप्त करते हो, को कम ब्याज दर का लाभ दिया जायेगा।**
8.3	ब्याज की गणना सदस्य द्वारा ऋण भुगतान प्राप्त करने की तिथि से की जायेगी। यह दरे ऋण चुकता होने तक अपरिवर्तनीय रहेगी।
8.4	Larsgeses/VRS एवं Medically decategorised सदस्यो के ओवरड्यू ब्याज को माफ करने का निर्णय लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित सदस्य की सभी जमाओं (1 शेयर छोड़कर) को समायोजित करने के उपरान्त ही ब्याज

	माफी पर विचार किया जायेगा व आश्रित सदस्य को बैंक का सदस्य बनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा तथा ऋण कटौती हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। आश्रित को वेतन मिलना प्रारम्भ होने अथवा सेवानिवृत कर्मचारियो की निपटारा राशि का भुगतान होने पर वह बैंक की किश्त की राशि जमा करवायेगा। किन्तु सदस्य के रेल सेवानिवृति एवं उसे निपटारा राशि के भुगतान के मध्य की अवधि का सामान्य ऋण ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसे ऋणी सदस्य का निपटारा तभी हो सकेगा। यह निर्णय लार्जेसी स्कीम/ वीआरएस स्कीम के अन्तर्गत सेवानिवृत होने वाले सदस्यो पर ही लागू रहेगा। दिनांक 01.09.15 से यदि सदस्य निर्धारित अवधि में ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है तो प्रत्येक डिफाल्टर किश्त पर उससे 2 प्रतिशत Penal Interest वसूला जायेगा।(बी.ओ.डी-22.08.15) Overdue ब्याज की वसूली मासिक आधार पर की जायेगी।
8.5	ऋण प्राप्ति के पश्चात् सदस्य का भी यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित समय पर अपनी ऋण कटौती प्रारम्भ करवाये। उसे एक ऋण कटौती तालिका अपने कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु दी जायेगी। ऋण पूर्ण होने की स्थिति में प्राप्त कटौती की राशि बचत खाते के माध्यम से ही रिफण्ड की जायेगी।
8.6	सदस्य की ऋण कटौती उसके वेतन से की जायेगी तथा ऋण कटौती तालिका विभाग को भेजना अनिवार्य होगा, परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि वेतन से कटौती नही होने अथवा आंशिक कटौती होने पर सदस्य निर्धारित किश्तो के अनुसार राशि नकद भी जमा करवा सकता है।
8.7	सदस्य से ऋण की कटौती प्राप्त होने पर सर्वप्रथम ब्याज तत्पश्चात् मूलधन के पेटे जमा किया जायेगा। आंशिक रिकवरी प्राप्त होने पर विभाग को पुनः ऋण कटौती तालिका भिजवाकर नियमित कटौती राशि हेतु लिखा जायेगा।
8.8	यदि रेलवे विभाग से त्रुटिवश सदस्य की कटौती JCCS अथवा अन्य रेलवे सहकारी समितियां बैंक में चली जाती है तो ऐसे सदस्य की यह राशि प्राप्त होने तक की अवधि का Over Due Interest (Penal Interest) नही लिया जायेगा लेकिन शाखा प्रबन्धक सदस्यो की ऋण कटौती प्राप्त नही होने मासिक स्तर पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करेगें। तथा कटौती प्राप्त होने पर सदस्य को डिफाल्टर की श्रैणी से unmark कर दिया जायेगा।
9	**ऋण का नवीनीकरण (Renewal of Loan):-**
9.1	<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>अतिदेय अवधि</th><th>समयावधि</th><th>नवीनीकरण की शर्ते</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">03 माह तक डिफाल्टर</td><td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नही होने पर</td><td>पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।</td></tr><tr><td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर</td><td>बकाया अतिदेय राशि पूर्ण जमा करवाने के पश्चात् ऋणी सदस्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कभी भी ऋण का नवीनीकरण करवा सकता है।</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">03 माह से अधिक व 06 माह तक डिफाल्टर</td><td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नही होने पर</td><td>पूर्ण बकाया ऋण मय ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन हेतु पात्र होगा।</td></tr><tr><td>30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर</td><td>ऋण नवीनीकरण हेतु स्वीकृत ऋण राशि की 30 प्रतिशत रिकवरी राशि प्राप्त होना अनिवार्य होगा।</td></tr><tr><td>3</td><td>06 माह से अधिक डिफाल्टर</td><td></td><td>यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में ही नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण ऋण जमा करवाने के 15 दिन पश्चात्। यदि पूर्व स्वीकृत लिमिट में वृद्धि करवाकर ऋण नवीनीकरण करवाता है तो पूर्ण बकाया ऋण जमा करवाने के 03 माह पश्चात् ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।</td></tr></table> **डिफाल्टर सदस्य से डिफाल्ट राशि की वसूली करते समय पूर्व ऋण प्राप्त करने की तिथि से सीटीडी से वसूल की गई राशि/ डिफाल्ट राशि भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।**
9.2	यदि सदस्य द्वारा सीटीडी के Against ऋण प्राप्त कर रखा है। यदि वह चाहे तो कभी भी सामान्य ऋण हेतु आवेदन कर सकता है, उसके ऋण से बकाया राशि का समायोजन नये ऋण की स्वीकृति के समय कर लिया जायेगा। परन्तु अन्य शर्ते यथावत ही रहेगी।
10	डिफाल्टर सदस्य(Defaulter):-
10.1	जो सदस्य बैंक की देनदारियो को निर्धारित समयावधि में नही चुका पाता है, वह डिफाल्टर की श्रैणी में आता है। साथ ही इसमें वे सदस्य भी सम्मिलित है जो बैंक के साथ किये गये अनुबंध, बैंक उपनियम, नियमो का उल्लंघन करते है वे भी डिफाल्टर माने जायेगे। लेकिन ऋणी सदस्य के ऋण व सीटीडी खातो की जांच करने पर पायी गई सम्पूर्ण बकाया डिफाल्ट राशि एक साथ जमा करवाने के पश्चात् वे ऋण नीति सं-9.1 के अनुसार ऋण लेने हेतु पात्र होगे।
10.2	a) प्रत्येक सदस्य की सीटीडी एवं ऋण की कटौती प्रत्येक माह वेतन से नियमित रूप से आनी आवश्यक है किन्ही कारणो से यदि वेतन से ऋण की कटौती नही हो पाती है तो सदस्य नगद रूप में अपनी कटौती (बकाया ऋण व ब्याज की राशि) जमा करवा सकता है। परन्तु बैंक एवं सदस्य द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सीटीडी/ऋण की अंतिम कटौती वेतन से ही हो। अन्यथा ऐसा सदस्य डिफाल्टर माना जायेगा। (मैसर्स वी-सॉफ्ट फर्म से Implement नही होने तक यह कार्य मेनुअल किया जायेगा।) (i) यदि कोई नया सदस्य जिसकी सदस्यता 01 वर्ष से कम या अधिक है तो वह वेतन से 02 सीटीडी की कटौती के पश्चात् सम्पूर्ण डिफाल्ट सीटीडी की राशि एक मुश्त जमा करवाकर नियमानुसार First Slab में आवेदन कर सकता है, किन्तु

	अंतिम सीटीडी/ऋण की कटौती वेतन से आना अनिवार्य है तथा वह सदस्य इस स्थिति में जमानत देने हेतु भी पात्र माना जायेगा। यदि कोई सदस्य 3 माह या अधिक का डिफाल्टर है तो उनकी अंतिम सीटीडी/ऋण कटौती वेतन से प्राप्त होना अनिवार्य होगा। b) सदस्य द्वारा ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार की देनदारी में डिफाल्टर होने की स्थिति में बैंक को उपनियमों एवं संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, सीटीडी एवं अन्य जमा राशियों से वसूली करने का अधिकार होगा व उक्त सीटीडी से ली गई राशि की गणना ऋण कटौती की किश्त के रूप में मानी जायेगी। किन्तु जमानतियों से वसूल की गई राशि को ऋण की किश्त के रूप में नही माना जायेगा। यह राशि ऋण आवेदन पत्र इनवर्ड करने से पूर्व जमानतियों को नियमानुसार लौटाना अनिवार्य होगा।
10.3	बैंक द्वारा डिफाल्टर ऋणी सदस्य से उसकी डिफाल्टर हुई राशि पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से मासिक आधार पर Penal Interest वसूला जायेगा।
10.4	डिफाल्टर सदस्य के खाते से ऋण राशि के समायोजन के समय सीटीडी व शेयर खाते में ₹100/- की राशि छोडकर अन्य सभी राशि का हस्तान्तरण किया जा सकेगा व शेयर की राशि का हस्तान्तरण मुख्यालय की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
10.5	1) किसी सदस्य की रिकवरी नही आने पर ऋणी व जमानती को नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, किन्तु 60 दिन की अवधि में शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगें कि ऋणी व जमानतियो को उचित नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत् NI Act -138 के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी शामिल है। NI Act -138 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का समस्त खर्चा ऋणी सदस्य द्वारा वहन किया जायेगा। 2) शाखा द्वारा सदस्य व जमानती सदस्यो के स्थाई निवास स्थान के पते व मोबाईल नम्बर भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें।
10.6	यदि डिफाल्टर ऋणी सदस्य अपनी कटौती पुनः चालू करवा देता है या नकद जमा करवाता है तो इस जमा राशि का लाभ उसके जमानतियों को दिया जायेगा। यदि किसी ऋणी सदस्य के डिफाल्टर ऋण की वसूली उसके जमानती सदस्यो की सीटीडी जमा से की जाती है तथा कुछ समय पश्चात् ऋणी सदस्य के निपटारा विभाग से राशि कटकर बैंक को प्राप्त होती है या ऋणी सदस्य द्वारा डिफाल्टर राशि जमा करवा दी जाती है तो इस स्थिति में उसके जमानतियो को दी जाने वाली क्रेडिट, उस अवधि तक के ब्याज सहित दी जायेगी। ऋणी सदस्य से सीटीडी की प्रचलित दर से ब्याज की राशि वसूल कर जमानतियों को क्रेडिट दी जाये।
10.7	दिनांक 01.12.14 से स्वीकृत व वितरित किये गये ऋण की मासिक किश्ते ईएमआई की भांति मान्य होगी व दिंनाक 01.12.14 से पूर्व के स्वीकृत व वितरित किये गये ऋण पर मासिक किश्त ऋण व ब्याज के रूप में मान्य होगी। यही गणना एम.एल.आई. एफ. में भी की जायेगी।
11	**जमानत एवं दायित्व (Surety & Liability):-**
11.1	i) ऐसा सदस्य जिसका खाता एनपीए की श्रेणी में शामिल है उस सदस्य की जमानत किसी भी सदस्य के ऋण पेटे मान्य (Acceptabe) नही होगी। अतः ऋण आवेदन में जमानती की जांच करते समय केवल उन्ही सदस्यो की जमानत मान्य होगी जिनके ऋण खाते Standard Category में वर्गीकृत है। सीटीडी से वसूल की गई राशि को ऋण की किश्त माना जायेगा। ii) a) ऋणी व जमानती सदस्य का विगत 12 माह का सीटीडी/ऋण का विवरण देखा जायेगा, जिसमें 09 कटौती वेतन से आना अनिवार्य होगा। शेष 03 किश्ते नकद जमा कराई जा सकती है लेकिन सदस्य के वेतन से ऋण/सीटीडी की अंतिम किश्त प्राप्त होना अनिवार्य है। **यदि किसी प्रशासनिक कारण (स्थानान्तरण) या टैक्नीकल कारण से किसी सदस्य की सीटीडी कटौती वेतन के माध्यम प्राप्त नही हो पाती है तथा उक्त कटौतीयां सदस्य द्वारा नकद जमा करवाई जाती है तथा इस संबंध में रेलवे वेतन विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है तो शाखा प्रबन्धक द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उसे मान्य किया जायेगा।** b) यदि किसी ऋणी व जमानती सदस्य की अंतिम कटौती वेतन से प्राप्त नही हुई है लेकिन सदस्य की लेटेस्ट वेतनपर्ची में अंतिम किश्त की कटौती की पुष्टि हो रही है ऐसा सदस्य ऋण लेने हेतु पात्र होगा तथा ऐसे सदस्य की जमानत भी मान्य होगी चाहे किश्त की राशि बैंक को प्राप्त नही हुई है। (प्रमाण स्वरूप वेतनपर्ची ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।) iii) प्रत्येक सदस्य अधिकतम 2 सदस्यो को जमानत दे सकता है। iv) जमानती सदस्य को यह भलीभांति ज्ञात रहे कि उनके द्वारा जिसे जमानत दी गई है उस ऋणी सदस्य के द्वारा ऋण भुगतान करने में किसी भी प्रकार से डिफाल्टर होने पर, ऋण चुकाने का दायित्व जमानतियों पर होगा। इस दायित्व की वसूली जमानती की जमाओं से एवं रेलवे विभाग से मिलने वाली वेतन व DCRG राशि से वसूल की जा सकेगी। v) ऋणी/जमानती सदस्य की मृत्यु होने पर संबंधित ऋणी/जमानती सदस्य को शाखा द्वारा जमानत खाली करने हेतु नोटिस दिया जायेगा।
11.2	ऋणी/जमानती सदस्य का यह भी दायित्व है कि जिस सदस्य के ऋण की जमानत दी गई है उसका ऋण भुगतान उसकी सेवानिवृति से 6 माह पूर्व चुकता हो जाये, अन्यथा बैंक द्वारा डिफाल्टर ऋणी सदस्य की राशि जमानती की जमाओ एवं रेलवे विभाग से निपटारा राशि में से वसूल की जा सकती है।

11.3	यदि सदस्य का स्थानान्तरण बैंक के कार्यक्षेत्र से अन्यत्र हो जाता है अथवा ऐसे यूनिट में हेा जाता है जिसका नियंत्रण अधिकारी बैंक कार्यक्षेत्र के बाहर है, या ऐसे डिवीजन में हेा जाता है जहां बैंक कारोबार नही करता है, तो ऋणी सदस्य का यह दायित्व होगा कि वह बैंक का बकाया ऋण जमा करवाकर ही कार्यमुक्त हो। सदस्य की मृत्यु/लार्जेसी/वीआरएस/सेवानिवृति/रिमूवल केस/डिफाल्टर केस में यदि ऋण बकाया है तो सीटीडी में जमा राशि बैंक द्वारा बकाया ऋण में समायेाजित की जायेगी तथा शेष बकाया ऋण ब्याज की वसूली जमानतियों के सीटीडी खाते से की जायेगी।
11.4	ऐसा सदस्य जिसके द्वारा दी गई जमानत में से यदि किसी जमानती का आउट डिविजन अर्थात बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण हो जाता है तो ऐसे सभी मामले कार्यक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण होने पर शाखाओं द्वारा पूर्ण तथ्यो के साथ ऋण कमैटी को प्रस्तुत किये जायेगे तथा ऋण कमेटी द्वारा प्रत्येक केस के गुण व दोष पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा। वह स्थानान्तरित हुये सदस्य के स्थान पर अन्य सदस्य को जमानत दे सकता है परन्तु वह अपने दायित्व (तीनो जमानतियों) से ऋण की पूर्ण वसूली होने तक मुक्त नही हो सकेगा। ऐसा सदस्य जिसने दो जमानते दे रखी थी और इसमें से किसी जमानती की मृत्यु हो जाती है तथा मृतक जमानती डिफाल्टर ना हो, तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य मृत्यु होने वाले सदस्य के स्थान पर तीसरी जमानत दे सकता है जो कि शाखा प्रबन्धक मय पूर्ण विवरण व टिप्पणी सहित मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा जिसकी स्वीकृति ऋण कमेटी द्वारा दी जायेगी। परन्तु ऐसा सदस्य अपने दायित्व से ऋण वसूली पूर्ण होने तक मुक्त नही माना जा सकता है।
11.5	यदि किसी ऋणी सदस्य के सीटीडी खाते में जमा राशि पर Lien Note करके जमानतियों को दायित्व मुक्त करना आवश्यक हेा तो अपरिहार्य परिस्थितियों में निम्न शर्तो पर एक अथवा दोनो जमानतियों केा जमानत से मुक्त करने के संबंध में विचार किया जा सकता है। जमानती की मृत्यु हेाने पर जमानत स्वतः खाली मानी जायेगी। जिन्हें ऋण समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यह अधिकार मुख्यालय में रहेगा तथा ऐसे केस में मुख्यालय अधिकृत करेगा। 1. यदि ऋणी सदस्य का बकाया ऋण उसकी जमा सीटीडी की राशि से 80 प्रतिशत या उससे कम है तो ऋणी सदस्य Against CTD जमानत खाली कर सकता है तथा ऐसे जमानती सदस्य अपने दायित्व से मुक्त माना जायेगा, जिसका सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकृत भी किया जा सकेगा। 2. किसी भी ऋणी सदस्य को उसकी जमा सीटीडी राशि के Against जमानत के दायित्वों से मुक्त किया जाता है तो उसके खाते में "Against CTD" अंकित किया जाना आवश्यक होगा। 3. ऋणी के जमानती को जमानत के दायित्व से मुक्त करने से पूर्व शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करे कि सदस्य डिफाल्टर नही है तथा कटौती लगातार प्राप्त हो रही है एवं उस पर किसी अन्य प्रकार का दायित्व नही बनता है तथा इससे बैंक को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नही हो रही है। शाखा प्रबन्धक Against CTD जमानत रिक्त करने की अनुशंसा के ठोस व औचित्यपूर्ण कारण स्पष्ट करेगा।
11.6	जमानती सदस्य यदि जमानत वापस लेना चाहता है तो ऋण भुगतान से पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत कर ही जमानत वापस ले सकता है। किन्तु पुनः उसी ऋण आवेदन पत्र में ऋणी को जमानत नही दे सकेगा, ऋण भुगतान के पश्चात् जमानत वापस नही ली जा सकेगी।
11.7	MRF/त्यागपत्र मामलों में यदि Against CTD जमानत खाली हो रही है तो बैंक स्वतः ही जमानत खाली करने हेतु कार्यवाही कर सकेगा व शाखा प्रबन्धक दायित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगा ऐसे केस ऋण कमेटी में Put up करेगें। सेटलमैंट के मामले में फार्म भरवाना पडेगा व जिसकी अनुमति ऋण समिति देगी।
11.8	यदि कोई ऋणी सदस्य अपनी दूसरी जमानत बदलना चाहता है तो ऋण स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् जमानत बदली फार्म ऋण कमेटी की सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऋण कमेटी की स्वीकृति के पश्चात् ही जमानत बदली जायेगी तथा जमानत बदली फार्म को ऋण आवेदन पत्र के साथ मूल फाईल में सुरक्षित रखा जायेगा। प्रथत जमानत पूर्व की भांति शाखा स्तर पर ही बदली जा सकती है।
12	**विशेष कोटा प्रणाली से ऋण भुगतान (Out of turn Loan Payment)**
12.1	बैंक के संचालकगणो/ भूतपूर्व संचालकगण यदि सदस्य हो तो, बैंक कर्मचारियो, रेलवे विभाग के राजपत्रित अधिकारियो को (जो नियम सं-1.2(ii) के अन्तर्गत नहीं आते है तो दूसरी बार आवेदन करने पर) ऋण आवेदन करने पर पात्रता अनुसार Out of Turn प्राथमिकता देते हुये ऋण का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे ऋण आवेदन पत्र Post Facto Sanction हेतु ऋण समिति में भेजे जायेगें। बैंक के सेवारत कर्मचारियें को भी उपरोक्त सुविधा देय है। इस सुविधा के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यो पर ऋण की अन्य सभी शर्ते यथावत लागू रहेगी।
13	**सदस्य ऋण बीमा कोष (Members Loan Insurance Fund) :- दिंनाक 01.10.2019 से प्रभावी**
13.1	i) ऋण भुगतान प्राप्त करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि के पश्चात् मृत्यु होने (दुर्घटना में मृत्यु होने के अलावा) पर लाभ देय होगा, परन्तु 30 दिवस की अवधि में यदि ऋणी सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वह एमएलआईएफ योजना के अन्दर covered रहेगा, बशर्ते उसकी दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट, दस्तावेजो से दुर्घटना की पुष्टि होती हो। सदस्यो से ऋण की घोषित पूर्ण किश्तो के हिसाब से ही 0.25 प्रतिशत की दर से प्रीमियम की राशि प्राप्त की जायेगी (Minimum MLIF ₹500/-), इसमे कोई Refund देय नही होगा तथा इसे एम.एल.आई.एफ. कोष में स्थानान्तरित किया जायेगा।

	30 दिवस में मृत्यु होने व MLIF का लाभ नही मिलने पर मृतक सदस्य से प्राप्त MLIF प्रीमियम लौटा दी जायेगी। अगर सदस्य का स्वीकृत ऋण अवधिपार है तो ऐसे सदस्य को एम.एल.आई.एफ. का लाभ देय नही होगा। ii) यदि कोई सदस्य अपने बकाया ऋण को समय पूर्व नकद जमा/नवीनीकरण करवाता है तो ऋण रहने तक की अवधि की एम.एल.आई.एफ. की राशि वसूली जायेगी। शेष अवधि की एम.एल.आई.एफ. राशि का समायोजन ऋण नवीनीकरण के समय गणना की गई एम.एल.आई.एफ. की राशि में किया जायेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सदस्य को एम.एल.आई. एफ. की राशि का नकद भुगतान नहीं किया जायेगा। उदाहरणः-**किसी सदस्य को दिंनाक 01.01.2015 को ₹500000/- का ऋण 50 मासिक किश्तो में स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार उक्त सदस्य के स्वीकृत ऋण से भुगतान के समय 500000X50X0.25*/1200 =5208/- की राशि एम.एल.आई.एफ. के एवज में वसूल की गई थी, यदि अब यह सदस्य इसी ऋण को 30 माह की अवधि के पश्चात् ही नवीनीकरण करवाता है तो शेष अवधि 20 माह (50-30) की राशि का एम.एल.आई.एफ. का लाभ अर्थात 500000X20 monthsX 0.25=2083/- की एम.एल.आई.एफ. राशि का लाभ ऋण नवीनीकरण के समय ऋणी सदस्य के स्वीकृत ऋण के चैकनोट पर काटी गई एम.एल.आई.एफ. राशि में से कम करके दिया जायेगा। अर्थात ऋण नवीनीकरण के समय सदस्य से ₹5208-2083=3125 ही वसूल की जावेगी।** **नोटः * पूर्व ऋण भुगतान के समय एम.एल.आई.एफ. की दर** iii) यदि किसी सदस्य को अचानक प्रथम Heart Attack हुआ हो एवं उसकी मृत्यु हो जाये तो ऐसे प्रकरण में MLIF का लाभ दिया जा सकता है। परन्तु यदि पूर्व से ही सदस्य हृदय रोग से पीड़ित है तो ऐसे मामले में यह लाभ देय नही होगा। शाखा प्रबन्धक इस प्रकार के प्रकरणेा की जांच चिकित्सक से विचार विमर्श कर करेगे तथा इस संबध में अपनी स्पष्ट अनुशंसा करते हुये टिप्पणी सहित मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें। iv) **MLIF Eligibility In case of Missing of a Member:-** (a) A request to grant the benefit of Member Loan Insurance Fund can be considered after a lapse of a least of 2 Years from the date from which the Member has been missing, Provide that an FIR has been lodged and the missing person is not traceable, and the competent authority feels that the case is genuine. (b) This benefit will not be applicable to Members:- Who had less than two years to retire on the date from which he has been missing; OR Who is suspected to have committed fraud, suspected to have joined any terrorist organisation or suspected to have gone abroad. (c) MLIF in the case of a missing Member also could not be a matter of right and will be subject to fulfillment of all the conditions prescribed by Railway for settlement of claim of the missing person. (d) While considering such a request the result of police investigation should also be taken into account; (e) A decision on any request for MLIF by these general instructions should be taken only Loan Committee ; (f) Entire benefit of of MLIF with interest will be recovered if the member member becomes available subsequently;
13.2	मृतक सदस्य का शेष ऋण उसकी जमाओं से, रेलवे विभाग के सेटलमेंट से, जमानतियों से यथा स्थिति वसूल किया जायेगा।
13.3	यदि सदस्य का Term Loan & Against CTD ऋण बकाया था और वह ऋण बीमित था एवं नियमो के अंन्तर्गत है, तो सदस्य की मृत्यु के पश्चात् की शेष ऋण राशि मय ब्याज एम.एल.आई.एफ. योजना के अन्तर्गत माफ कर दी जायेगी।
13.4	यदि सदस्य का ऋण बकाया था और वह ऋण बीमित था तो सदस्य की मृत्यु के पश्चात् शेष ऋण राशि नियमानुसार एम.एल. आई.एफ. योजना के अन्तर्गत माफ कर दी जायेगी। परन्तु यदि स्वर्गीय सदस्य ऋण चुकाने में डिफाल्टर है तो डिफाल्ट अवधि की राशि का लाभ एम.एल.आई.एफ. से नही दिया जायेगा। बीमित ऋणी की मृत्युतिथि के पश्चात् ऋण खाते में किसी प्रकार ब्याज चार्ज नही किया जायेगा और यदि कम्प्यूटर द्वारा उक्त तिथि के पश्चात् ब्याज चार्ज कर लिया गया है तो एम.एल.आई. एफ. का आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व ऐसे चार्ज किये गये ब्याज को समायोजित करने के पश्चात् ही एम.एल.आई. एफ. का आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जायेगा। अगर सदस्य का स्वीकृत ऋण अवधिपार है तो ऐसे सदस्य को एम. एल.आई.एफ. का लाभ देय नही होगा।
13.5	एम.एल.आई.एफ. से समायोजन के प्रकरणो में एम.एल.आई.एफ. राशि की गणना Date of Loan Disbursement एवं Date of Death के आधार पर की जायेगी। एम.एल.आई.एफ. का लाभ देकर ऋण खाते में समायोजन कर ऋण खाते को बंद किया जाये। MLIF प्रकरण में यदि संबंधित सदस्य डिफाल्टर नही है तो ऐसे सदस्य की MLIF राशि as on date बकाया ऋण राशि व ऋण पुर्नभुगतान अवधि (Loan Repayment Schedule) में अंतिम ड्यू किश्त के पश्चात् की राशि में से जो राशि कम होगी उसका भुगतान किया जायेगा। एम.एल.आई.एफ. के समायोजन के पश्चात् भी यदि ऋण शेष रहता है अथवा क्रेडिट आता है तो इसका समायोजन सीटीडी खाते से किया जायेगा। सदस्य की MLIF राशि as on date बकाया ऋण राशि से अधिक ना हो इसकी गणना हेतु निम्नलिखित नेविगेशन के अनुसार राशि की जानकारी प्राप्त कर तदानुसार गणना की जाये **REPORTS--->LEDGER--->EXUCUTABLE--->ACCOUNTWISE REPAYMENT SCHEDULE** ध्यान रहे जो रिपोर्ट डिस्प्ले हो, उसमें किश्तो की संख्या, किश्तो की राशि, स्वीकृत राशि, स्वीकृति तारीख, प्रथम किश्त की देय तिथि आदि सही हो।
14	**सदस्य सहायता एवं सुरक्षा कोष (M.R.S.F.)**
	The subsidiary Rules for Members Relief Fund and Security Fund shall be as under : (i) Applicability: This Scheme will be for all share holders of the Bank irrespective of the place of posting and will cover death due to all causes natural or otherwise and also for grievous injuries. (ii) Benefits: The amount payable to members or their deponents will be as under :-

	1. Ondeath 25000.00 2. In case of injury the following benefits will be given : (i) for loss of both Legs/arms/sight of both eyes -- 15000.00 (20000 after approval of RCS) (ii) for loss of one leg/one arm or loss of sight of one eye 10000.00 (iii) for loss of finger or Thumb of any Hand& Leg- - 5000.00 (a) An advance of Rs. 5000/- will be immediately given to the nominee of deceased member on producing an application to the Branch Manager. This amount will be adjusted while making final payment. (b) Bank dues will be recovered before making final payment (c) In absence of nomination, this amount will be paid to the dependant/dependants on producing succession certificate or to whom settlement dues are paid by the Railway Administration. (d) The Board of directors will only be competent to consider claims on deaths due to natural calamites /violence etc. (iii) Contribution towards the Fund : Every member of the Bank will contribute Rs. 1500+500 to this Scheme from the amount credit in his compulsory Thrift Deposit Account. In case where the amount at the credit of CTD Account falls short of Rs. 2000/- the shareholder can pay in cash, or the amount will be recovered from Loan sanctioned to him. In case of new member has to pay this amount in cash or by recovery from the Loan sanctioned to them. Out of Rs. 2000/-Rs. 1500/- shall be credited to MS a/c which will be refunded at the time of settlement, on which no interest shall be paid to the member and Rs. 500/- shall be credited to MRF Fund shall not be refundable. (सदस्य अपना Contribution नकद जमा करवा सकता है, अन्यथा बैंक उसकी सीटीडी की जमा राशि में से भी Contribution प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा) (iv) Eligibility : The benefits of the scheme will be given only to those who have contributed Rs. 2000/- to the scheme before event Death/accident. (v) Death Certificate: The bank will accept certificate granted by the Railway administration regarding natural/accident death on duty or off duty. (vi) Claim: The claim for relief from this fund will be made on the prescribed form to the Chief Executive Officer of the Bank within Five years of occurrence of the event. (vii) Authority : The BOD under the rules framed by them from time to time will sanction elegible amount by Loan Committee.
15	**सदस्य की मृत्युपरान्त देय लाभो का भुगतान :-**
15.1	सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके नामित व्यक्ति को दिया जायेगा तथा स्वर्गीय सदस्य की जमा राशियों व एम.आर.एफ. राशि का भुगतान A/c Payee Cheque के माध्यम से ही किया जायेगा।
15.2	नामित यदि अवस्यक है तो ऐसी अवस्था में उसके संरक्षक के संरक्षण में देय राशि की एफ.डी.आर. नामित के वयस्क होने तक की अवधि हेतु बनाकर दे दी जायेगी।
15.3	किन्तु मृत्यु से पूर्व की देनदारियां मृतक सदस्य की जमा सीटीडी, एम.आर.एफ., शेयर (1 शेयर छोडकर) राशि से वसूल की जायेगी यदि फिर भी देनदारी शेष बचती है तो सदस्य की रेलवे से प्राप्त होने वाली निपटारा राशि से वसूलने के प्रयास किये जायेगें अन्यथा दोनो जमानतियों के सीटीडी व शेयर खाते से यह राशि वसूली जायेगी।
15.4	सदस्य सहायता कोष से अंग-भंग होने की स्थिति में दी जाने वाली राशि के मामले में संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अंग-भंग की परिभाषा में किसी भी अंग को आंशिक या पूर्ण भंग होने पर ही अंग-भंग माना जायेगा। सदस्य को अंग-भंग के प्रमाण स्वरूप फोटो एवं डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना का लाभ सदस्य को सदस्यता अवधि के दौरान अंग भंग होने पर ही दिया जायेगा।
15.5	MRF/त्यागपत्र मामलों में यदि Against CTD जमानत खाली हो रही है तो बैंक स्वतः ही जमानत खाली कर सेटलमेंट की कार्यवाही कर सकेगा। शाखा प्रबन्धक दायित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर ऐसे केस ऋण कमेटी के समक्ष Put up करेगें। सेटलमैंट के मामले में फार्म भरवाना पडेगा।
15.6	शाखाओ में त्यागपत्र, एम.आर.एफ. व एम.एल.आई.एफ. आदि के सेटलमेंट का भुगतान शाखा में आवेदन पत्र इनवर्ड होने के 7 दिवस में शाखा में फंड की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
15.7	सदस्य के स्वर्गवास के उपरान्त नामित का उल्लेख नही होने एवं नामित का भी स्वर्गवास हो जाने की स्थिति में अथवा नामित पर संशय की स्थिति में यदि स्वर्गीय सदस्य की कुल जमा राशि ₹4,00,000/- तक है तो ऐसी परिस्थिति में स्वर्गीय सदस्य के आश्रितो द्वारा परिवार के किसी एक आश्रित के पक्ष में अपने हक का अभित्याग करने पर Indemnity Bond भरवाया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र पर आवेदनकर्ताओं के अतिरिक्त ऐसे दो व्यक्तियों से जमानती/साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाये जाये जो कि बैंक के सदस्य हो तथा भारतीय रेलवे के नियमित कर्मचारी हो ताकि विवाद की स्थिति में उनसे यह राशि वसूल कर सकने में परेशानी ना हो। यदि ऐसी स्थिति में अभित्याग नहीं किया जाता है तो सदस्य के शेष बचे आश्रित पुत्र/पुत्रियों को निपटारा राशि का भुगतान समान अनुपात में किया जायेगा। ₹4,00,000/- से अधिक की जमा राशि के मामलो में Succession Certificate लाना अनिवार्य होगा। शाखा प्रबन्धक/ सहायक शाखा प्रबन्धक ऐसे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रकरण के साथ प्रस्तुत करेगें। (इस राशि में शेयर + सीटीडी + एमएस + ब्याज को सम्मिलित माना जायेगा। एसबी, आरडी व एफडीआर इसमें शामिल नही होगें इसके लिये पृथक से कार्यवाही करनी होगी।)
15.8	बैंक नियमानुसार सदस्य की बैंक जमाओं को ही Deposit गणना में माना जाना चाहिये। रेलवे से Loan के Against में प्राप्त राशि को यदि रिफण्ड करना है तो उसका भुगतान रेलवे के द्वारा जिस व्यक्ति/आश्रित को किया है, को किया जायेगा। बैंक नियमानुसार सदस्य की बैंक जमाओं को ही डिपोजिट गणना में माना जाना चाहिये। रेलवे से Loan के Against में कटवाई गई राशि इस श्रेणी में नही आती। रेलवे से प्राप्त राशि का यदि रिफण्ड करना है तो उसे करना होगा जिसे रेलवे ने भुगतान किया है। अतः रेलवे विभाग से प्राप्त राशि कम करके Indemnity Bond प्राप्त करके भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।

16	**ऋण समिति की सभा एवं शक्तियां:-**
16.1	ऋण समितियों की बैठक प्रत्येक माह में तीन बार आयोजित की जायेगी तथा ऋण समिति की सभा फंड की उपलब्धता की समीक्षा करने के पश्चात् ही बुलाई जायेगी।
16.2	बैंक के संचालक मंडल द्वारा नियुक्त ऋण समिति, ऋण स्वीकृत एवं एम.एल.आई.एफ की सहायता की स्वीकृति करने हेतु अधिकृत होगी। समिति की स्वीकृति के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश जारी करेगें। ऋण पॉलिसी के अनुसार ऋण आवेदन पत्र की Scrutiny की समस्त जिम्मेदारी शाखा स्तर पर शाखा प्रबन्धक एवं संबंधित अधिकारी/लिपिक की होगी एवं मुख्यालय स्तर पर प्रबन्धक मुख्यालय एवं संबंधित लिपिक की होगी।
16.3	ऋण आवेदन पत्रों के संबंध में किसी भी प्रकार के विवादो के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार संचालक मंडल में निहित होगा तथा संचालक मंडल द्वारा गठित ऋण कमेटी निम्न सभी पर निर्णय ले सकेगी:- • शाखाओं से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करना। • शाखाओं से प्राप्त MRF/MLIF के आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करना। • मृतक सदस्यो के ऋण खातो (कम्प्यूटर में) में मृत्यु की तिथि टैग करने की स्वीकृति प्रदान करना जिससे यदि आवश्यक हो तो तीसरी जमानत लगाई जा सकें। जमा सीटीडी के विरूद्ध जमानत से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करना। • मृतक सदस्य के बकाया ऋण को जमा सीटीडी के विरूद्ध जमानत से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करना। • सदस्य की भुगतान क्षमता की जांच करने पर यदि आवश्यक हो तो रिवाईज्ड ऋण की स्वीकृति प्रदान करना। • सदस्य की 5 वर्ष की अवधि से पूर्व सदस्यता से त्यागपत्र की स्वीकृति प्रदान करना। यदि ऋण कमेटी की सभा में विलम्ब हो तो विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त सभी अधिकार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बैंक को होगें तथा इसे पश्च स्वीकृति हेतु ऋण कमेटी की सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।
16.4	शाखाओं द्वारा ऋण नीति के विरूद्ध स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजे गये ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर शाखा को वापस लौटाने का अधिकार ऋण कमेटी को होगा।
16.5	ऋण आवेदन पत्रों के साथ सदस्यो द्वारा इनवर्ड करते समय Latest वेतनपर्ची ही संलग्न की जाये, इस संबध मे सभी शाखाओ को पूर्व में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है। **नोट : यदि किसी सदस्य को उपरोक्त तिथियो से पूर्व ही वेतनपर्ची प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि सदस्य द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ Latest वेतनपर्ची संलग्न की गई है।**

******$$$$*******